

452

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ 3(54)नविवि/3/2011-पार्ट

जयपुर दिनांक 04.1.2013

साधेव,
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" - विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।

महोदय,

"प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" की समीक्षा बैठक के दौरान आप द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके संबंध में टिप्पणी निम्न प्रकार है:-

क सं.	विषय	विभाग की टिप्पणी
1.	कॉलोनाइजर्स द्वारा अपनी निजी खातेदारी भूमि में टाउनशिप पॉलिसी के तहत आवेदन कर भू-उपयोग परिवर्तन ले-आउट स्वीकृत करवा लिये थे लेकिन उसके पश्चात विकास शुल्क एवं नियमन शुल्क इत्यादि जमा नहीं करवाये गये और भूखण्डों का बेचान कर दिया। मौके पर कोई विकास कार्य भी करवाये गये हैं। वर्तमान में भूखण्डों के आवंटन/क्रेता भूखण्डों के नियमन की मांग कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनायी जावे।	यदि खातेदार कॉलोनाइजर ने नियमन शुल्क जमा नहीं कराया है तो उसका नियमन भी नहीं हुआ होगा और पट्टा भी जारी नहीं किया गया होगा। अतः, मौके पर काबिज भूखण्डधारियों ने यदि कॉलोनाइजर/खातेदार से भूखण्ड कय किये हैं तो उस संबंध में धारा 91 सपडित धारा 90-क के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश क्रमांक प. 3(54)नविवि/3/2011-पार्ट दिनांक 29.12.2012 के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।
2.	कुछ प्रकरणों में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी/अति. जिला कलेक्टर (भू.रू.) कार्यालय द्वारा सोसाइटी के नाम से भूमि का एकल पट्टा जारी कर दिया गया। सोसाइटी द्वारा भूखण्डों के क्रेता को आवंटन पत्र प्त किये गये लेकिन उक्त आवंटन पत्रों का न नहीं करवाया गया। भूखण्डों के क्रेता एवं क्रेता द्वारा अन्य व्यक्तियों को जरिये इकरारनामा/रजिस्ट्री पर भूखण्डों का आगे बेचान भी कर दिया गया है। ये भूखण्डधारी न्यास से पुनः पट्टे की मांग कर रहे हैं। इन भूखण्डों पर किसी भी संस्था यथा बैंको द्वारा ऋण की सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे प्रकरणों में वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा सकती है। अब न तो एकल पट्टा निरस्त हुआ न ही पट्टा सामंतिग किया गया है।	गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से पट्टा जारी किया जाना गलत था। अतः उस पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही कर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

3.	17.06.1999 के बाद की आवारसीय कॉलोनी एवं निजी डवलपर जो अब उपरिस्थिति नहीं आ रहे हैं, के द्वारा बेचे गये प्लॉट भी आगे इकरारनामे के आधार पर बेचे जा चुके हैं। परन्तु 17.06.1999 के बाद इकरारनामे को राज्य सरकार की मान्यता नहीं है।	मौके पर काबिज भूखण्डधारियों ने यदि कॉलोनाइजर/ खातेदार से भूखण्ड कय किये हैं तो इस संबंध में धारा 91 सपडित धारा 90-क के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश दिनांक 29.12.2012 के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।
4.	राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम उप विभाजन 100 वर्गगज निर्धारित है परन्तु इससे छोटे प्रकरण भी प्राप्त हो रहे हैं जिससे उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है।	इस संबंध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उप-विभाजन, पुर्नगठन और सुधार) नियम, 1975 के नियम 12 में संशोधन की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है।
5.	17.06.1999 बाद की कॉलोनीयों में खातेदार/रजिस्टर्ड बेचान-पत्र धारक द्वारा ही 90-ए की कार्यवाही हेतु आवेदन किया जा सकता है। कुछ प्रकरणों में इस आधार पर निस्तारण में समस्या आ सकती है।	मौके पर काबिज भूखण्डधारियों ने यदि कॉलोनाइजर/ खातेदार से भूखण्ड कय किये हैं तो इस संबंध में धारा 91 सपडित धारा 90-क के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश दिनांक 29.12.2012 के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय